by M|S. Raman Gas Service, New Delhi has been generally satisfactory and refills are currrently being delivered within 48 hours. One case of supply under-weight cylinder occurred in February, 1987 wherein a free replacement was g'to to the consumer after investigation.

मैसर्स जी० एस० एन्टरप्राइज से गैस का चूल्हा खरीदने के लिए बाध्य किया जाना

913. **श्री सुशील कुमार पट्टनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स जी०एस० एन्टरप्राइज, शालीमार पार्क, शाहदरा, दिल्ली-32 उपभोक्ताओं को गैस के नये कनेक्शन लेने के समय उन्हें गैस बर्नर/हाट प्लेट वहां से खरीदने पर विवश कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि जो उपभोक्ता उक्त एजेन्सी से गैस बर्नर/हाट प्लेट नहीं खरीदते हैं उन्हें राशन कार्ड, गैस बर्नर खरीदने की रसीद की फोटो-स्टेट प्रतिलिपि अथवा उस आशय का शपथ-पत्र जैसे कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि गत दो वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन को भाग (क) में उल्लिखित प्राप्त हुई शिकायतों को निचले स्तर पर दबाया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस मामले में नये सिरे से जांच करने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क), (घ) और (ङ) पिछले वर्षों के दौरान हाट प्लेट खरीदने के लिए दबाव डालने के बारे में मैसर्स जी०एस० इंटरप्राइजेज के विरुद्ध इंडियन आयल कार्पोरेशन को एक शिकायत प्राप्त हुई। जांच के दौरान यह आरोप साबित नहीं हुआ।

(ख) और (ग) निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन जिन भावी उपभोक्ताओं के पास पहले से ही हाट प्लेट होती है उनको एक निर्धारित फार्म में भरकर अपना विवरण वितरक को देना होता है तथा हाट प्लेट के निरीक्षण प्रभार के रूप में 10 रुपये वितरक के पास जमा करवाने होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाट प्लेट आई०एस०आई० द्वारा प्रमाणित है।

प्रतिभूति राशि लेने में भेदभाव किया जाना

914. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विशेषकर पूर्वी दिल्ली में, घरेलू गैस के वितरण उन आवेदकों से, जिनके पास असम के टर्मिनेशन वाऊचर हैं अथवा जिनकी प्रतिभूति राशि 450 रुपये से कम है अब भी प्रतिभूति की राशि वर्तमान दर से ले रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि टर्मिनेशन वाउचर देश के किसी अन्य राज्य से हो और प्रतिभूति की राशि 450 रुपये से कम होने पर भी वर्तमान दर पर प्रतिभूति राशि नहीं ली जाती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में हो, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में नीति क्या है और क्या ऐसे मामलों में एकरूपता लाने का विचार है ?